न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2019 (उदयपुर डिक्री)

भैरूलाल पिता स्वर्गीय श्री रामलाल डांगी, निवासी भाोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. दिलीप कुमार मून्दड़ा पिता स्वर्गीय श्री रामचन्द्र जी, निवासी एल रोड़, भुपालपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती नि"ाा पत्नी श्री सन्दीप मून्दड़ा, निवासी 8, माहे"वरियों की सेहरी, धानमण्डी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती कविता पत्नी श्री विजय मुन्दड़ा (माहे"वरी), निवासी धानमण्डी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती वरजू बाई पत्नी दल्ला जी डांगी, निवासी भाोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती पुश्पा बाई पुत्री रामलाल जी डांगी, निवासी भाोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती नोजी बाई पत्नी रामलाल जी डांगी, निवासी भाोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. लक्ष्मीलाल पिता माना जी डांगी, निवासी भाोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. गोपाललाल पिता जगन्नाथ जी डांगी, निवासी भाोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
9. देवीलाल पिता जगन्नाथ जी डांगी, निवासी भाोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. नारायण पिता माना जी डांगी, निवासी भाोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

11. कि''ानलाल पिता छगा जी पटेल, निवासी न्यू भूपालपुरा, खारा कुंआ, आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

12. श्रीमती मांगी बाई पत्नी कि''ानलाल जी पटेल, निवासी न्यू भूपालपुरा, खारा कुंआ, आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

13. दौला पिता फुला जी डांगी, निवासी भाोभागपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 09.05.2019, प्र. सं. 17/18

———/———

उपस्थित (वक्तबहस) 1. श्री सु''ाील कोठारी अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री सुखदेव बारबर अभिभाषक रे.सं. 1, 2, 3
3. श्री अजयसिंह अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5
4. श्री ओंकारलाल डांगी अभि. रे.सं. 4, 7 से 13
5. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि. रे.सं. 14

———:::———

निर्णय दिनांक

25–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृशि भूमियां ग्राम आयड़ में स्थित हैं, जिनका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''अ'', ''ब'' व ''स'' में किया गया है। वादी संख्या 1 का उक्त आराजीयात में जमाबन्दी में दर्ज अनुसार हिस्सा निहित है। वादी संख्या 2 का

आराजी नंबर 1502 में 1495/17550 व वादी संख्या 3 का आराजी नंबर 1500 में 195/2400 हक व हिस्सा निहित है। अतः निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''अ'', ''ब'' व ''स'' में वर्णित आराजी नंबर 1497, 1498, 1499, 1501, 1503, 1504, 1506 कुल किता 7 रकबा 1.3150 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1502 रकबा 0.2000 तथा आराजी नंबर 1500 रबा 0.2400 हैक्टर भूमि में वादीगण के निहित हक व हिस्से की भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स आधार पर विभाजन किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 5 से 11 ने स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा बताया कि वादग्रस्त भूमि पर व्यवसायिक दुकाने गोदाम बनाये गये हैं, जिसका स्वरूप परिवर्तन किया गया है बगैर भूमि रूपान्तरण कराये गये निर्माण को ध्वस्त कराये भूमि का विधिवत नाप एवं सीमांकन कराये बिना बंटवाड़ा किया जाना संभव नहीं है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 से 11 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के प्रतिदावे का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद पक्षकारान की सहमति के आधार पर दिनांक 09–05–2019 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09–05–2019 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–05–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3 की ओर से वकील श्री सुखदेव बारबर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से वकील श्री अजयसिंह उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 7 से 13 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 औपचारिक पक्षकार सरकार की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री

पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अपीलान्ट द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था, जिसपर तनकियात कायम कर साक्ष्य लेकर ही निर्णय किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण को लाभ पहुंचाने के लिए न्यायिक प्रकिया का उल्लंघन करते हुए अत्यन्त जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेशित किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा विभाजन एवं स्थायी निशेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसके खण्डन में अपीलान्ट/ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जो काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया वह भी विभाजन एवं निशेधाज्ञा बाबत था, जबकि प्रतिवादी 1 व 5 से 11 को ओर से स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की सहमति के आधार पर उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री किया गया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझत हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09–05–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

भैरूलाल पिता स्व. रामलाल डांगी, पिता स्व. निवासी भाोभागपुरा, तह. बड़गांव, निवासी एल रोड़, जिला उदयपुर व अन्य व अन्य

बनाम

दिलीप कुमार मूण्दडा रामचन्द्र जी, भुपालपुरा, तह0 गिर्वा

अपील नं॰.....23/2019.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....09.....माह.....05..... 2019

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....25....माह.....09.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री सु"ाील कोटारी.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री सुखदेव बारबर

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09–05–2019 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....25.....माह.....09... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।